

8/2001 नगर परिषद सीकर - जिला अलवर सीकर

दिनांक

आज्ञा पत्र

1-11-18

पत्रावली देना। वकील आपीलांड को पत्र देती का दिनांक दी गई थी कि
आपकी तिथि से पूर्व आपीलांड को पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
अन्यथा आपकी तिथि से पूर्व आपीलांड को पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
कर ही जायेगी। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
पत्र नहीं देना। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
नहीं देना। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
की जाती है। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना आवश्यक है। पत्र देना
से कम होकर बाद तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात्



प्रबन्ध अधिकारी एवं
सदन सचिव आपीलांड अधिकारी
सीकर



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official